## विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

## मांग संख्या 88 जैव प्रौद्योगिकी विभाग

क. वसूलियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

			स्तविक 2013-2014 स्तिविक 2013-2014		<b>बजट 2014-201</b> 5			संशोधित 2014-2015			(करा,ड रुपए) बजट 2015-2016		
	a <del>lla</del>	वास्तावक २०१३-२०१४ आयोजना आयोजना-भिन्न जोड											
	मुख्य शीर्ष			•			जोड़	-		जोड़			जोड़
	राजस्व 	1275.71	15.61	1291.32	1500.00	17.21	1517.21	1395.00	22.21	1417.21	1606.80	18.34	1625.14
	पूंजी												
	जोड़	1275.71	15.61	1291.32	1500.00	17.21	1517.21	1395.00	22.21	1417.21	1606.80	18.34	1625.14
1. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	3451		15.61	15.61		17.21	17.21		22.21	22.21		18.34	18.34
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान													
<ol> <li>स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थाएं</li> </ol>	3425	449.99		449.99	493.00		493.00	459.00		459.00	511.62		511.62
<ol> <li>अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता</li> </ol>													
3.01 मानव संसाधन विकास	3425	78.92		78.92	68.00		68.00	78.81		78.81	90.00		90.00
3.02 जैव सूचना विज्ञान	3425	27.40		27.40	17.00		17.00	20.00		20.00	43.50		43.50
3.03 अनुसंधान एवं विकास	3425	431.35		431.35	401.00		401.00	378.00		378.00	470.00		470.00
3.04 सामाजिक विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी	3425	10.91		10.91	12.00		12.00	12.00		12.00	15.00		15.00
3.05 महाचुनौती कार्यक्रम	3425	35.99		35.99	37.00		37.00	32.00		32.00	37.00		37.00
3.06 उत्कृष्टता और नई खोज के संवर्धन संबंधी कार्यक्रम	3425	59.22		59.22	63.00		63.00	49.69		49.69	63.00		63.00
3.07 जैव प्रौद्योगिकी सुविधाएं	3425	57.16		57.16	57.00		57.00	57.00		57.00	57.00		57.00
जोड़- अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता		700.95		700.95	655.00		655.00	627.50		627.50	775.50		775.50
4. आई एंड एम सेक्टर-सरकारी निजी भागीदारी	3425	72.16		72.16	69.00		69.00	67.00		67.00	69.00		69.00
5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	3425	52.61		52.61	43.00		43.00	52.00		52.00		···	
6. जैव प्रौद्योगिकी समूह	3425				90.00		90.00	50.00		50.00	90.00	···	90.00
7.    पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजन	गओं/स्कीमेां हेत्												
प्रावधान													
7.01 मानव संसाधन विकास	2552				7.00		7.00	7.00		7.00	7.00		7.00
7.02 उत्कृष्ठता और नई खोज के संवर्धन संबंधी कार्यक्रम	2552				2.00		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00
7.03 जैव प्रौद्योगिकी सुविधाएं	2552				3.00		3.00	3.00		3.00	3.00		3.00
7.04 जैव सूचना विज्ञान	2552				1.00		1.00	1.77		1.77	5.00		5.00
7.05 अनुसंधान एवं विकास	2552				66.00		66.00	86.50		86.50	99.00		99.00

- 0015 0010		
<b>ਕ</b> ਤਟ 2015-2016		
ायोजना-भिन्न र	जोड़	
3	3.00	
30	30.68	
1	1.00	
10	10.00	
160	60.68	
18.34 1625	25.14	
आं. ब. बा. सं. ः	जोड़	
1446	16.12	
160	80.68	
1606	06.80	
	    16 18.34 16 11.	

- 1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के सचिवालय पर व्यय हेतु प्रावधान ।
- 2. **स्वायत्तशासी अनुसंधान और विकास संस्थानः** विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 16 स्वायत्त संस्थाएं तथा 1 व्यावसायिक निकाय है जिसके लिए सहायता दी जा रही है।
- 3. अन्य वैज्ञानिक निकायों की सहायता: (1) मानव संसाधन विकास (एचआरडी), जैव सूचना तंत्र, अनुसंधान तथा विकास अनुसंधान तथा विकास परियोजनाएं, बड़े चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम, उत्कृष्टता, जैव प्रौद्योगिकी सुविधा आदि के संवर्धन हेतु कार्यक्रम के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 4. **आई एण्ड एम क्षेत्र-सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी):** जिन स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है वे है: लघु व्यवसाय नवप्रवर्तन अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई), जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी), तथा जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक पार्क हेतु सहायता तथा एसबीआईआरआई और बीआईपीपी कार्यक्रमों से आगे उद्योग नवप्रवर्तन वित्तपोषण स्कीमों का विस्तार आदि।

- 6. **जैव प्रौद्योगिकी समूह कार्यक्रम:** यह प्रावधान जैव प्रौद्योगिकी समूह कार्यक्रम के लिए है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि (एनईआर घटक सहित)प्रदान की जाती है।
- 7. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान: पूर्वोत्तर के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य संस्थाओं और विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र के सहयोग तथा भागीदारी से पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ मानव संसाधन विकास, जैव प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं अनुसंधान तथा विकास के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु आवश्यक प्रावधान रखे गए हैं।